सं. 66(20)पीएफ-II/2016
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
योजना वित्त- II प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
7 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार की परियोजना के मूल्यांकन के अनुसार पीआईबी प्रारूप के भाग के तौर पर मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण।

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण, केन्द्र सरकार की सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा होगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) और संबंधित प्रशासनिक विभाग की अध्यक्षता में प्रत्यायुक्त निवेश बोर्ड (डीआईबी) राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र सरकार की परियोजना का मूल्यांकन करते समय यह देखेगा कि परियोजना से संबंधित प्रस्ताव पर मार्गदर्शन करने वाले मंत्रालय/विभाग ने क्या मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण के विकल्प की जांच की है अथवा नहीं। इस संबंध में, मुझे परियोजनाओं के प्रस्ताव के लिए 05 अगस्त, 2016 के का. ज्ञा. सं. 24(35)/पीएफ-II/2012 के अनुबंध-IV-ख के रूप में पूर्व परिचालित सार्वजनिक निवेश बोर्ड/प्रत्यायुक्त निवेश बोर्ड का एक संशोधित प्रारूप संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. यह उल्लेख किया जाता है कि अब सभी पीआईबी/डीआईबी ज्ञापनों में निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के लिए मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण (संशोधित पीआईबी/डीआईबी प्रारूप के भाग के तौर पर) से संबंधित ब्यौरा भी होगा:

(i) यदि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण पर परियोजना के वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में विचार किया गया है।

(ii) यदि मंत्रालय/विभाग ने मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण के विकल्प की जांच की है।

(iii) यदि परियोजना के वित्तपोषण पर परियोजना के लिए वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में विचार किया गया है, तो अनुमानित राशि के ब्यौरे और मूल्यवृद्धि अभिग्रहण वित्तपोषण की विधि का उल्लेख किया जाए।

3. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

7/3/2017
(अनु कुकरेजा)
उप निदेशक (पीएफ- II)
फोन: 23095664

भारत सरकार के सभी सचिव
मंत्रालय/विभागों के सभी वित्त सलाहकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
प्रधानमंत्री कार्यालय
नीति आयोग
रेलवे बोर्ड
आंतरिक परिचालन
एनआईसी-वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
संलग्न: यथोक्त

अनुबंध-IVख

परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड/प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड ज्ञापन का प्रारूप

1. परियोजना की रूपरेखा

1.1 परियोजना का नाम

1.2 प्रायोजक एजेंसी (मंत्रालय/विभाग/स्वायत्त निकाय या उपक्रम)

1.3 परियोजना की प्रस्तावित लागत

1.4 परियोजना के लिए प्रस्तावित घटनाक्रम

1.5 क्या परियोजना किसी स्कीम के एक भाग के रूप में अथवा परिपूर्ण आधार पर कार्यान्वित की जाएगी?

1.6 क्या परियोजना के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटा लिए गए हैं? यदि हां, तो ब्यौरा दें।

1.7 क्या साध्यता रिपोर्ट और/अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है?

1.8 क्या प्रस्ताव एक मूल लागत प्राक्कलन है या एक संशोधित लागत प्राक्कलन?

1.9 संशोधित लागत प्राक्कलन के मामले में, क्या संशोधित लागत समिति की बैठक हो चुकी है और उसकी सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया गया है?

1.10 क्या इस परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण या निवेश-पूर्व कार्य किया गया था या किए जाने का विचार है? क्या ऐसे हस्तक्षेप की लागत इस परियोजना प्रस्ताव में शामिल की गई है?

2. परिणाम और प्रदेय सेवाएं

2.1 परियोजना के उल्लिखित उद्देश्य और लक्ष्य

2.2 परियोजना के लिए वर्ष-वार परिणाम/प्रदेय सेवाएं तालिका के रूप में दर्शाएं

कार्य	**1 वर्ष**		**2 वर्ष और उससे आगे**		**जोड़**	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1, 2, 3 और उससे आगे						

2.3 परिमेय संकेतकों के रूप में परियोजना के लिए अंतिम परिणाम बताएं जिनका प्रयोग परियोजना पूरी होने के बाद प्रभाव के आकलन/मूल्यांकन के लिए किया जा सके। आधार रेखा डाटा अथवा सर्वेक्षण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके मुकाबले में ऐसे परिणाम निर्धारित किए जाएंगे।

3. परियोजना लागत

3.1 निर्धारित अवधि (वर्ष और कार्यकलाप वार, दोनों) के साथ-साथ परियोजना के लागत प्राक्कलन। इसके अतिरिक्त, मानक लागत निर्धारण के लिए संदर्भ तारीखों के साथ-साथ इन लागत प्राक्कलनों का आधार। (वरीयत: यह एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।

3.2 यदि भूमि अधिग्रहण किया जाना है, तो पुनर्वास/पुनर्स्थापना की लागत के साथ-साथ भूमि लागत का ब्यौरा दिया जाना आवश्यक है।

3.3 यदि निवेश-पूर्व कार्य आवश्यक हैं, तो कार्य-वार ब्यौरे के साथ इन पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

3.4 क्या परियोजना समय चक्र के दौरान मूल्य वृद्धि लागत प्राक्कलनों में शामिल की गई है और किस दर पर?